भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 484

सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम)

484. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:
श्री अरूण साव:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री विजय बघेल:
श्री मोहन मंडावी:
श्री वाई. देवेन्द्रप्पा:
श्री देवजी पटेल:
श्री एस. सी. उदासी:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) आरम्भ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर-पूर्व राज्य, कर्नाटक, राजस्थान और झारखण्ड विशेषकर माधा, लातूर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर, जालौर, सिराही, चतरा निर्वाचन क्षेत्रों के श्रमिक भी उक्त योजना से लाभान्वित हुए हैं और यदि हां, तो आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को पेंशन प्रदान करने के लिए पीएम-एसवाईएम कब से आरम्भ किया गया था और उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या लाभार्थियों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) विगत तीन वर्षों के दौरान लंबित अनुमोदित आवेदकों की संख्या और लाभार्थियों को देय राशि का वर्ष-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, असम और उत्तर-पूर्व राज्य, राजस्थान, कर्नाटक, झारखण्ड और राजस्थान के जालौर और सिरोही में उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड़): भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) आरंभ की गई, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार है;

जारी/-2

I. एक असंगठित कामगार हो;

II. प्रवेश की आयु 18-40 वर्ष के बीच हो;

III. मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम हो;

उपरोक्त के अतिरिक्त, वह व्यक्ति किसी संगठित क्षेत्र (ईपीएफ/ एनपीएस/ ईएसआईसी की सदस्यता) में कार्य न कर रहा हो और आयकर दाता न हो। पंजीकरण के निर्वाचन क्षेत्रवार आंकडे नहीं रखे जाते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्य, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड से संबंधित पंजीकृत कामगारों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

पीएम-एसवाईएम के तहत नामांकित किसी भी लाभार्थी ने पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

* *****

अनुबंध

"प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम)" के संबंध में श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे, श्री अरूण साव, श्री दिलीप शइकीया, श्री विजय बघेल, श्री मोहन मंडावी, श्री वाई. देवेन्द्रप्पा, श्री देवजी पटेल, श्री एस. सी. उदासी के द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 484 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**पंजीकरण**
1	राजस्थान	305714
2	सिक्किम	308
3	अरुणाचल प्रदेश	2870
4	नागालैंड	4946
5	मणिपुर	5695
6	मिजोरम	1148
7	त्रिपुरा	31664
8	मेघालय	5326
9	असम	37649
10	झारखंड	135782
11	छत्तीसगढ	229418
12	महाराष्ट्र	614141
13	कर्नाटक	130033

*****